

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 (कार्तिक 9, 1936)

क्रमांक 20335/वि.स./विधान/2014—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भोपाल में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूँ.

भोपाल :
दिनांक 28 अक्टूबर, 2014

राम नरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश”.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

क्रमांक 20336/वि.स./विधान/2014

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 (कार्तिक 9, 1936)

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित:—

मध्यप्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्य;

मध्यप्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, भोपाल;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के सचिव, भोपाल;

समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश;

समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;

महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर;

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल;

जिला दण्डाधिकारी, भोपाल;

समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;

उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल रेंज;

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क), भोपाल संधारण संभाग-एक, भोपाल;

महासचिव, लोक सभा, नई दिल्ली;

महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली;

भारत के समस्त विधान मंडलों के प्रमुख सचिव/सचिव;

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001.

सचिव, भारत सरकार, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली; और

सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 90-संसद् भवन, नई दिल्ली.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.